न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 35/25 (विविध)
मनोहर लाल बनाम राजस्थान सरकार
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा वास्ते पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को सम्मन जरिये **Registered AD** वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20.06.2025 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **मण्डावर (दौसा)** 20/6/25 पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली प्रत्युसार दिनांक 11-7-25 को पेश हो। 11.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार मंडावर की तामील रजि. डाक रसीद पेश की। अप्रार्थी की तलबी जरिये Regd AD कराये एक महिने से अधिक समय हो चुका है। बार-2 आवाज दिलवाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत: अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र पत्थरगढी दिनांक 29.7.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) 29.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र बाबत पत्थरगढी पर प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का भी	रजिस्टर्ड [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

मनोहर लाल ....बनाम........ राज. सरकार

मु.नं.– 35/25   किस्म – पत्थरगढ़ी</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td></td><td>अवलोकन किया। प्रार्थी का प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)</td><td></td></tr>
</table>

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
35/2025	16.05.2025	29.07.2025

बउनवान

1. मनोहरलाल पुत्र रामपाल, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री भुवनेश कुमार मीना, श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा सं. 1784 रकबा 0.27 हैक्टे., 1788 रकबा 0.47 हैक्टे., 2748/1612 रकबा 0.08 हैक्टे., कुल किता 3, कुल रकबा 0.82 हैक्टे. ग्राम हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा, राजस्थान में स्थित है जिसमें प्रार्थी की कब्जा काश्त मौजूद है। प्रार्थी उक्त आराजी खातेदारी पर अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त कर रहा है व उपयोग–उपभोग में ले रहा है। प्रार्थी के अलावा किसी भी अन्य पक्षकार की साझेदारी व भागीदारी नहीं है। राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी के नाम मौजूदा जमाबन्दी में इन्द्राज है। प्रार्थी ने उक्त आराजी की मौके पर पत्थरगढी नहीं कर रखी है। प्रार्थी ने आराजी की पैमाईश बाबत तहसीलदार बैजूपाड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार बैजूपाडा के आदेश कमांक 01 दिनांक 19.04.2022 की पालना में दिनांक 27.04.2022 को आराजी खसरा सं. 1788 के मौके पर पहुंचे। मौके पर आराजी खसरा सं. 1812/2400 गै. मु. चाह से समीप चौमडे से जरीब चला कर सीमाज्ञान किया एवं निशानात लगाये। मौके पर पर्चा रिपोर्ट बनाया गया। प्रार्थी की आराजी खसरा सं. 1788 में आवारा जानवर फसल को आये दिन नुकसान करते है। प्रार्थी अब वृद्ध हो गया है, इसलिए अपने खेत की आवारा पशुओं से रखवाली में असमर्थ है। प्रार्थी द्वारा उक्त पैमाईश व सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी हेतु निवेदन किया गया तो तहसीलदार ने कहा कि बिना न्यायालय के आदेश के पत्थरगढी नहीं करवा सकते। आप न्यायालय से पत्थरगढ़ी के आदेश लेकर आयें। इसलिये न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश करना लाजमी आया है। अतः अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा को आदेशित करें कि प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा सं. 1788 की भूमि की पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इमदाद की मदद से पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
35/2025	16.05.2025	29.07.2025

बउनवान

1. मनोहरलाल पुत्र रामपाल, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री भुवनेश कुमार मीना, श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा सं. 1784 रकबा 0.27 हैक्टे., 1788 रकबा 0.47 हैक्टे., 2748/1612 रकबा 0.08 हैक्टे., कुल किता 3, कुल रकबा 0.82 हैक्टे. ग्राम हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा, राजस्थान में स्थित है जिसमें प्रार्थी की कब्जा काश्त मौजूद है। प्रार्थी उक्त आराजी खातेदारी पर अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त कर रहा है व उपयोग–उपभोग में ले रहा है। प्रार्थी के अलावा किसी भी अन्य पक्षकार की साझेदारी व भागीदारी नहीं है। राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी के नाम मौजूदा जमाबन्दी में इन्द्राज है। प्रार्थी ने उक्त आराजी की मौके पर पत्थरगढी नहीं कर रखी है। प्रार्थी ने आराजी की पैमाईश बाबत तहसीलदार बैजूपाड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार बैजूपाडा के आदेश कमांक 01 दिनांक 19.04.2022 की पालना में दिनांक 27.04.2022 को आराजी खसरा सं. 1788 के मौके पर पहुंचे। मौके पर आराजी खसरा सं. 1812/2400 गै. मु. चाह से समीप चौमडे से जरीब चला कर सीमाज्ञान किया एवं निशानात लगाये। मौके पर पर्चा रिपोर्ट बनाया गया। प्रार्थी की आराजी खसरा सं. 1788 में आवारा जानवर फसल को आये दिन नुकसान करते है। प्रार्थी अब वृद्ध हो गया है, इसलिए अपने खेत की आवारा पशुओं से रखवाली में असमर्थ है। प्रार्थी द्वारा उक्त पैमाईश व सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी हेतु निवेदन किया गया तो तहसीलदार ने कहा कि बिना न्यायालय के आदेश के पत्थरगढी नहीं करवा सकते। आप न्यायालय से पत्थरगढ़ी के आदेश लेकर आयें। इसलिये न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश करना लाजमी आया है। अतः अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा को आदेशित करें कि प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा सं. 1788 की भूमि की पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इमदाद की मदद से पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्राथी को जर्ये नोटिस तामिल करवाई गई। अप्रार्थी की ओर से इस न्यायलय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 1788 रकबा 0.47 हैक्टे. भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार है। उक्त आराजी का दिनांक 27.04.2022 को तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है।

4. प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 1788 रकबा 0.47 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी के उक्त खसरा की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अभिलेख निरीक्षक बैजूपाडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में विधिवत वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः भू. अभिलेख निरीक्षक बैजूपाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थी एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)